पत्रांक-सिं०को०-118/06-पार्ट III -293

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,

सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग, बाल्मिकीनगर/ सिवान/ मुजफफरपुर/ पूर्णियाँ/ वीरपुर/ दरभंगा/ पटना/ गया/ औरंगाबाद/ डिहरी/ भागलपुर एवं यांत्रिक, पटना ।

दिनांक- 20.06.2014

विषय:- खरीफ सिंचाई अभियान 2014

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2014 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं से **18.35** लाख हेक्टयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । खरीफ सिंचाई 2014 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । खरीफ के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:-

(I) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2014 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(II) खरीफ सिंचाई 2014 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगें तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चत करेगें कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई मोनिटरिंग अंचल को प्राप्त हो जाय ।

(III) खरीफ सिंचाई 2014 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेगें तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को भी देगें ।

(IV) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक यो०मो०-4 कार्य 10-1400/2001-220, दिनांक-12-4-2004 एवं सिंचाई कोषांग के पत्रांक सिं०को० 36/04-290 दिनांक 17-5-2004 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें है, वहाँ विशेष ध्यान देगें तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोडने की व्यवस्था करेगें ।

(V) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेगें ताकि नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का कारण न बनना पडे । अत: सभी

संबंधित कार्यपालक अभियंताओ को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेगें ।

(vi) अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

(vii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

(viii) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं अनुमंडल का ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेगें तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देगें ।

(ix) उपलब्ध पानी में कमी के कारण, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है ।प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, उनका प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होगें, जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्री मे प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2014

विश्वासभाजन

19/6/14

(दीपक कुमार सिंह)

सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार/कृषि विकास आयुक्त/सभी अध्यक्ष कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2014

19/6/14

(दीपक कुमार सिंह)

सचिव

ज्ञापांक- 293 पटना, दिनांक- 20.06.14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/6/14

(दीपक कुमार सिंह)

सचिव

Govt. of Bihar
Water Resources Deptt.
Kharif Target for the year 2014-2015

SL. NO.	CHIEF ENGINEER'S ZONE	KHARIF TARGET IN HECTARES FOR 2013-2014	KHARIF ACHIEVEMENT IN HECTARES FOR 2013-2014	PROPOSED KHARIF TARGET BY FIELD OFFICERS/ C. E. FOR 2014-15	APPROVED KHARIF TARGET IN HECTARES FOR 2014-2015	REMARKS
1	2	3	4	5	6	8
1	VALMIKINAGAR	242433	273054	167668	250675	
2	SIWAN	189588	179637	188503	189698	Target not received from C E. It is fixed on last year basis.
3	MUZAFFARPUR	50560	33025	17950	50560	Target not received from C E. Discussed on telephone and target is fixed on last year basis.
4	PURNEA	250250	216360	218270	219120	
5	BIRPUR	113750	98087	99623	99623	
6	DARBHANGA	58697	47836	58697	58697	
7	GAYA	55917	19228	53817	55917	
8	PATNA	87517	43860	85946	88813	
9	DEHRI	447294	416823	439904	447594	
10	AURANGABAD	186751	153274	184228	190072	
11	BHAGALPUR	182121	133128	184083	184703	
TOTAL		***1864878***	***1614312***	***1698689***	***1835472***	